क्र. 3325863/2016/1126
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.–462003
दूरभाष–2552646, 2552878, फैक्स–2552406, 2551253
email:-enewrdbpl_mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 01/10/2020

/कार्यालयीन आदेश/

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.22152/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2019 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ–3/ए–16/2014/पी–1/ इकतीस भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2015 के अनुसार म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम –1969 के नियम –6(क) में सीधी भर्ती के प्रावधान में एक बार के लिये विभाग में कार्यरंत कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी स्नातक कर्मचारी को नियमित स्थापना में अमीन के पद पर वेतनमान 5200–20,200 + ग्रेड–पे रू. 2100/–(सातवें वेतनमान के मेट्रिक लेवल'–5) तथा म0प्र0 शासन व्दारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :–

स. क्रं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	जाति श्रेणी	मुख्य अभियंता कार्यालय का नाम जहां पदस्थ है	मुख्य अभियंता कार्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाता है
1	श्री रामकुमार डहेरिया (कार्यभारित परिचालक)	स्व.श्री रामप्रसाद डहेरिया	10-04-1980	अनुसूचित जाति	बैनगंगा कछार-सिवनी	बैनगंगा कछार सिवनी

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1 मध्य प्रदेश शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्धस्थाई सेवा नियम–1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाऐं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित अभ्यार्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया के भॉति वसूली योग्य होगी।

2 संबंधित कार्यालय प्रमुख (जिसमें कर्मचारी द्वारा उपस्थिति सूचना प्रस्तुत की जा रही है) का दायित्व होगा कि मूल तथा वांछित दस्तावेज, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन कर संतुष्ट होने के पश्चात ही उपस्थिति सूचना मान्य की जावेगी।

3 पदस्थीकरण आदेश जारी,होने की दिनांक (प्राप्ति दिनांक से)एक माह की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।

4 कार्य ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5 इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश मे राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

6 म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. बी–25/17/95/पी.डब्ल्यू.सी./चार दिनांक 30जनवरी 1996 में निहित प्रावधानुसार कार्यभारित स्थापना की सेवाऐं नियमित स्थापना में जोडी जावे ।

29/9/20
(एम.एस.डावर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 01/10/2020

पृ.क्रमांक 3325863/16/1127

प्रतिलिपिः–

1 अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल।

2 मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित कर्मचारी के विस्तृत पदस्थीकरण आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने की व्यवस्था करें।

3 अधीक्षण यंत्री,जल संसाधन मंडल सिवनी।

4 कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी ।

5 संबंधित श्री रामकुमार डहेरिया(कार्यभारित परिचालक) आत्मज स्व.श्री रामप्रसाद डहेरिया द्वारा स.क्रं. 4

6 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री(प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

7 अधीक्षक कक्ष 331/332

8 बैव मेनेजर कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यताही हेतु अग्रेषित।

29/9/20
(एम.एस.डावर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग